मीरा बनाम तहसीलदार सोजत
राजस्व विविध प्रा०पत्र सं० :– 19/2025

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 19/2025

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. मीरा पत्नि सेसाराम जाति बावरी निवासी सुरायता तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: **निर्णय** :– दिनांक – 03/12/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सुरायता में स्थित मुझ विधवा औरत प्रार्थीया की कृषि भुमि खाता नंबर 372 खसरा नंबर 881 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 882 रकबा 1.0600 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खाता संख्या 372 व खसरा नंबर 883 रकबा 1.2600 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय है। उक्त तमाम कृषि भुमि मुझ प्रार्थीया की पुश्तैनी है और आज से 45 वर्ष पूर्व मेरे पति सेसाराम के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि के राजस्व अधिकारीयों की भुल के कारण मुझ प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में मेरा दर्ज नहीं कर सेवन से मीरा की जगह राजकी पत्नि सेसाराम नाम इन्द्राजी राजस्व रिकॉर्ड कर दिया, जबकि आधार कार्ड, पारिवारिक राशनकार्ड में मुझ प्रार्थीया का सही नाम मीरा पत्नि सेसाराम जाति बावरी ही दर्ज है। उक्त कृषि भुमि में बतौर खातेदार सेवन से इन्द्राज होते ही मैंने हल्का पटवारी से राजस्व रिकॉड तमाम कृषि भुमि की जमाबंदी नकले प्राप्त कर विधिवत उक्त गलत नाम संशोधन करने का माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र भु–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत तमाम दस्तावेजी साक्ष्य सबुतो के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश है। मुझ प्रार्थीया का बचपन का पीहर में मुकलावा पुर्व प्यार लाड से राजकी पुकारने से भी यह गलती हो सकती है, जबकि ससुराल मैं मुकलावा बाद 65 वर्षो से मुझ प्रार्थीया का नाम मीरा ही है। राजकी नाम सेसाराम की कोई औरत नहीं है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत एवं सेवन से राजकी दर्ज हो जाने से प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण, किसान कार्ड बनाने आदि में भारी असुविधा व कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी के नाम से आधारकार्ड आदि बने हुए है, जिसमें प्रार्थी का नाम मीरा दर्ज है, जो सही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खसरात की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (पाली) राज

का नाम राजकी पत्नि सेसाराम के स्थान पर मीरा पत्नि सेसाराम शुद्धि किये जाने का आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1346 दिनांक 19.09.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार ग्राम सुरायता के खाता संख्या 372 खसरा नं0 881, 882 एवं 883 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.4400 है० भूमि राजकी पत्नि सेसाराम हि० 1/12 जाति बावरी शेष खाता जमाबंदी बदस्तुर संयुक्त खातेदारी दर्ज है। खातेदार राजकी पत्नि सेसाराम हि0 1/12 का सही व वास्तविक नाम "मीरा पत्नि शेषाराम" है अर्थात राजस्व रेकर्ड में दर्ज राजकी पत्नि सेसाराम गलत नाम है इनका दस्तावेज राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, जॉबकार्ड अनुसार नाम मीरा पत्नि शेषाराम" है। खातेदारी (राजस्व रेकर्ड) में खातेदार मीरा पत्नि सेसाराम का गलत नाम "राजकी पत्नि सेसाराम" इनके पति सेसीया पत्नि भेरा के देहान्त पश्चात् दर्ज ना०क० 1187 निर्णय दिनांक 27.06.2001 के तहत दर्ज किया गया है, की रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजकी पत्नी सेसाराम के स्थान पर मीरा पत्नी शेषाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राजकी पत्नि सेसाराम हि0 1/12 का सही व वास्तविक नाम "मीरा पत्नि शेषाराम" है अर्थात राजस्व रेकर्ड में दर्ज राजकी पत्नि सेसाराम गलत नाम होने की रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 5383 4945 6510, राशन कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थीया का नाम मीरा पत्नि शेषाराम दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया का वास्तविक व दस्तावेजी नाम मीरा पत्नि शेषाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम

उप खण्ड अधिकारी

राजकी पत्नि सेसाराम के स्थान पर मीरा पत्नि शेषाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम राजकी पत्नि सेसाराम के स्थान पर मीरा पत्नि शेषाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत